

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर, पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :- श्री रणजीत कुमार आरएस

राजस्व वाद संख्या :- 206/2022

1. भागीरथ उम्र 25 वर्ष पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट साकिन 1 टी.के.डब्ल्यू तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

- - वादी

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र लेखराम जाति जाट साकिन 1 टी.के.डब्ल्यू तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़
2. निर्मला पत्नी विकास पुत्री ओमप्रकाश जाति जाट साकिन नगी तहसील करणपुर जिला श्री गंगानगर राजस्थान।
3. बिन्दू बाला पत्नी बृजलाल पुत्री ओमप्रकाश जाति जाट साकिन अराईयांवाली तहसील व जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
4. नितू बाला पत्नी रोहिताश कुमार पुत्री ओमप्रकाश जाति जाट साकिन नीमला तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा हिरयाणा।
5. आदित्य पत्नी राजेश पुत्री ओमप्रकाश जाति जाट साकिन बडोपल तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
6. सौरभ पत्नी राजाराम पुत्री ओमप्रकाश जाति जाट साकिन बागिया तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर राजस्थान।

- - प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा आर.टी.ए. 88 घोषणा-:: उपस्थित अभिभाषकगण ::-

1. श्री अर्जुन सिंह नरूका अधिवक्ता -- वादी
2. श्री महेन्द्र पाल सैन अधिवक्ता -- प्रतिवादी सं. 1 ता 6

-:: निर्णय ::-

दिनांक :- 27/5/2022

वादी ने प्रतिवादीगण के विरुद्ध यह वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी व प्रतिवादीगण का पंजीकृत व प्रमाणित पता वही है जो वाद पत्र के शीर्षक में अंकित है।

प्रतिवादी स. 1 वादी का पिता है, प्रतिवादिया स. 2 ता 6 वादी की सगी बहिने है, वादी व प्रतिवादीगण एक ही सुयक्त परिवार से सम्बंध रखते है।

वादी, प्रतिवादी स. 2 ता 6 के पिता ओमप्रकाश यानिकी प्रतिवादी स. 1 के नाम तहसील पीलीबंगा के चक 1 टी.के.डब्ल्यू-ए के खाता स. 12/7 के प.न. 10/226 के किला न. 12 ता 15, 17/11.127, 18, 19, 20/11.228, 20/21.025, 21/11.228, 21/21.025, 22 ता 25 की कुल 3.163 हैक्. नहरी अनकमाण्ड मय गैर खाला दर्ज राजस्व रिकार्ड है जिसकी जमाबंदी की प्रति सलगन वाद पत्र है।

वाद पत्र की दफा 3 में वर्णित कृषि भूमि पैतृक कृषि भूमि है, जिसमें मिन वादी का ही हक व हिस्सा निहित है प्रतिवादी स. 1 के नाम वर्णित उक्त कृषि भूमि पूर्व मे वादी के दादा लेखराम पुत्र पूराराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रिकार्ड है।

उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा
27.05.2022

कृषि भूमि प्रतिवादी स. 1 को वर्तमान राजस्व रिकार्ड वर्णित कृषि भूमि के अलावा अन्य कृषि भूमि भी दादा लेखराम से प्राप्त हुई थी लेकिन प्रतिवादी स. 1 ने अपने हक व हिस्सा से अधिक कृषि भूमि का पूर्व में ही अविधिक तरीके से बैचान कर दिया था वर्तमान में प्रतिवादी स. 1 नाम वर्णित कृषि भूमि में प्रतिवादी स. 1 का कोई हक व हिस्सा नहीं बनता वर्तमान में प्रतिवादी स. 1 के नाम वर्णित कृषि भूमि में केवल वादी का ही हक व हिस्सा बनता है प्रतिवादी स. 2 ता 6 जो वादी की बहिने है ने अपना सम्पूर्ण हक व हिस्सा दान दहेज के रूप में प्राप्त कर चुकी है।

वाद पत्र की दफा 3 में वर्णित कृषि भूमि में केवल वादी का ही हक व हिस्सा बनता है। वादी अपने हक व हिस्से अनुसार उपरोक्त कृषि भूमि की खातेदारी घोषणा करवाने का अधिकारी है, तथा वादी को प्राप्त हिस्सा में से प्रतिवादी स. 1 का नाम व हिस्सा कलमजन करवाने का अधिकारी है।

अतः वाद वादी पेश कर निवेदन है कि वाद वादी निम्नानुसार स्वीकार किया जाकर डिक्री फरमाया जावे :- घोषित किया जावे कि वाद पत्र की दफा 3 में वर्णित कृषि भूमि की खातेदारी घोषणा वादी वाद पत्र की दफा 5 अनुसार करवाने का अधिकारी है व उसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाने का अधिकारी हैं, वादी को प्राप्त भूमि में से प्रतिवादी स. 1 का नाम व हिस्सा कलमजन करवाने का अधिकारी हैं।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया व प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 मय अधिवक्तागण न्यायालय में हाजिर आये। उभयपक्ष द्वारा हस्ताक्षरित तहरीरशुदा राजीनामा अदालत हाजा के समक्ष पेश किया और प्रार्थना की गई कि दोनो पक्षों में राजीनामा हो चुका है। राजीनामा तस्दीक फरमाया जाकर वाद को डिक्री फरमाया जावे। प्रस्तुत राजीनामा पर उभयपक्ष की पहचान जरिये अधिवक्ता व जरिये दस्तावेज की गई। पहचान सिद्ध होने पर राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

राजस्थान काश्तकारी (बोर्ड ऑफ रेवन्यु) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6 एवं आदेश 23 नियम 3 सीपीसी में समझौते के आधार पर वाद डिक्री किया जा सकता है। राजस्व(ग्रुप-6) विभाग जयपुर के पत्रांक प. 5(1)राज/6/97/10 दिनांक 08.09.1997 के अनुसार सह कृषको में जोत के विभाजन की सहमति हो जाये तो ऐसी सहमति के आधार पर डिक्री की जा सकती है। हिन्दु उत्तराधिकार विधि के अनुसार का पैतृक सम्पत्ति में जन्म से ही अधिकार है। इसलिये पुत्र का पैतृक सम्पत्ति में से जोत का विभाजन करवा सकता है।

एआईआर 1976 एससी 807 के अनुसार यदि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुरूप हिस्सा प्रदान न किया गया हो या किसी का हिस्सा कम ज्यादा हो तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने पारिवारिक समझौते को अधिक मान्यता दी है। पारिवारिक समझौता धोखाधड़ी या किसी के प्रभाव में न हो तो उस पारिवारिक समझौता को मान्यता दी जा सकती है। जिससे वाद कम हो, पारिवारिक समझौता पक्षकानन द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत किया गया हो।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा
27.05.2022

-:: आदेश ::-

विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। वादी एवं प्रतिवादीगण की ओर से पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का सम्मान अध्ययन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि वाद में वर्णित कृषि भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 की पैतृक खातेदारी भूमि है जो जद्दी जायदाद होने के कारण उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के अनुसार लोक अदालत की भावना से वाद वादी स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत तहसील पीलीबंगा के चक 1 टी.के. डब्ल्यू-ए के खाता स. 12/7 के प.न. 10/226 के किला न. 12 ता 15, 17/11.127, 18, 19, 20/11.228, 20/21.025, 21/11.228, 21/21.025, 22 ता 25 की कुल 3.163 हैक्. नहरी अनकमाण्ड मय गैर मु. खाला भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी स. 1 का नाम व हिस्सा कलमजन किया जाता है।

तहसीलदार(राजस्व) पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद किया जावे। आदेशानुसार डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेंगे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा
27.05.2022
(रणजीत कुमार)

उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 नियम 6-7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर, पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :- श्री रणजीत कुमार आरएएस

राजस्व वाद संख्या :- 206/2022

1. भागीरथ उम्र 25 वर्ष पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट साकिन । टी.के.डब्ल्यू तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान ।

- - वादी

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र लेखराम जाति जाट साकिन । टी.के.डब्ल्यू तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़
2. निर्मला पत्नी विकास पुत्री ओमप्रकाश जाति जाट साकिन नगी तहसील करणपुर जिला श्री गंगानगर राजस्थान ।
3. बिन्दू बाला पत्नी बृजलाल पुत्री ओमप्रकाश जाति जाट साकिन अराईयांवाली तहसील व जिला हनुमानगढ़ राजस्थान ।
4. नितू बाला पत्नी रोहिताश कुमार पुत्री ओमप्रकाश जाति जाट साकिन नीमला तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा हिरयाणा ।
5. आदित्य पत्नी राजेश पुत्री ओमप्रकाश जाति जाट साकिन बडोपल तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान ।
6. सौरभ पत्नी राजाराम पुत्री ओमप्रकाश जाति जाट साकिन बागिया तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर राजस्थान ।

- - प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा आर.टी.ए. 88 घोषणा

-:: निर्णय ::-

दिनांक :- 27/5/2022

वादी की ओर से श्री अर्जुन सिंह नरूका, एडवोकेट एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 6 की ओर से श्री महेन्द्र पाल सैन, अधिवक्ता इस वाद में आज दिनांक को रणजीत कुमार आरएएस उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा एवं पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के अनुसार लोक अदालत की भावना से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम -1955 की धारा 88 के अन्तर्गत तहसील पीलीबंगा के चक । टी.के.डब्ल्यू-ए के खाता स. 12/7 के प.न. 10/226 के किला न. 12 ता 15, 17/11.127, 18, 19, 20/11.228, 20/21.025, 21/11.228, 21/21.025, 22 ता 25 की कुल 3.163 हैक्. नहरी अनकमाण्ड मय गैर मु. खाला भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी स. 1 का नाम व हिस्सा कलमजन किया जाता है।

तहसीलदार(राजस्व) पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि पर किसी अन्य न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो नियमानुसार राजस्व की कसौटी एवं

अधिकारी पीलीबंगा

27.05.2022

में अंकन किया जावे। खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेंगे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

यह आदेश आज दिनांक 27/5/22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खले न्यायालय एवं सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा में सुनाया गया।

(रणजीत कुमार)

उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर, पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :- श्री रणजीत कुमार आरएएस

मुकदमा संख्या :- 108/2022

अनवान मुकदमा -

1. हरीश कुमार पुत्र दुलाराम जाति जाट साकिन पीलीबंगा गांव तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
2. रोहिताश कुमार पुत्र दुलाराम जाति जाट साकिन पीलीबंगा गांव तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
3. रायसिंह पुत्र दुलाराम जाति जाट साकिन पीलीबंगा गांव तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

-- वादी

बनाम

1. दुलाराम पुत्र सुरजाराम जाति जाट साकिन पीलीबंगा गांव तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

-- प्रतिवादीगण

:-वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 रा.का.अधि. बाबत घोषणा:-**:-: उपस्थित अभिभाषकगण :-:**

- | | |
|--|---------------------|
| 1. श्री अनिल सिहाग अधिवक्ता | --- वादीगण |
| 2. श्री जसपाल सिंह दहिया अधिवक्ता | --- प्रतिवादी सं. 1 |
| 3. राजपैरोकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा | --- प्रतिवादी सं. 2 |

:-: निर्णय :-:


दिनांक - 25/5/2022

वादीगण ने प्रतिवादीगण के विरुद्ध यह वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर. टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण का पंजीकृत एवं प्रमाणित पता वहीं है जो वाद पत्र के शीर्षक में है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 एक ही हिन्दु खानदान के सदस्य है जिन पर हिन्दु विधि लागू होती है। सजरा खानदान पेश किया गया है।

तहसील पीलीबंगा के चक 6 एनएसडब्ल्यू की मुताबिक जमाबंदी सम्बत् 2073 से 2076 जमाबंदी 2077(वर्ष 2021) से चालु खाता सं. 79/67 का प0न0 41/335 मु0न0 35 कि0न0 2/3/0.0350, 3/1/0.2280, 3/2/0.0250, 4/3/0.0480, 7/2/0.073, 8, 9/1/0.060, 12/1/0.0730, 13, 14, 16/2/0.0630, 17, 18, 19/1/0.0990, 23/2/0.0250, 23/3/0.0490, 24/1/0.1380, 24/2/0.0250, 25/1/0.1380, 25/2/0.0250 की कुल 2.3690 है0 कमाण्ड अनकमाण्ड मय गै0मु0 खाला कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 दुलाराम के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड खातेदारी है।

तहसील पीलीबंगा के चक 5 पीबीएन की मुताबिक जमाबंदी सम्बत् 2073 से 2076 खाता संख्या 32/28 प0न0 49/325 मु0न0 13 कि0न0 2, 3, 8, 9, 10/2/0.2280, 11/2/0.2280 व प0न0 51/323 मु0न0 2 कि0न0 20/2/0.2280, 21/2/0.2280, 22, 23 की कुल 2.4300 है0 कमाण्ड अनकमाण्ड कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड खातेदारी है। जमाबंदी की प्रति संलग्न की गई है।

तहसील पीलीबंगा के चक 6 एनएसडब्ल्यू की कृषि भूमि प0न0 41/335 मु0न0 35 कि0न0 1 ता 20, 21/1 ता 25/2 की कुल 5.863 है0 कृषि भूमि वादी के दादा


25.05.2022
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

सुरजाराम पुत्र भोमाराम के नाम दर्ज राजस्व थी जिसमें से जरिए विरास्तन नामामन्तकरण संख्या 375 दिनांक 18.10.2021 व इन्तकाल संख्या 378 दिनांक 18.11.2021 के मुताबिक प्रतिवादी संख्या 1 को प्राप्त हुई। विरास्तन दर्ज होने के बाद उक्त भूमि का विभाजन जरिए नामान्तकरण संख्या 385 दिनांक 12.01.2022 को होकर भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हो चुकी है। उक्त इन्तकालों की सत्य प्रति पेश की गई है। जो कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 की पैतृक कृषि भूमि है। जिसमें से मुताबिक हिन्दु विधि हम वादीगण का हमोर पिता प्रतिवादी संख्या 1 के बहिब का हक व हिस्सा बनता है। जिसकी घोषणा पाने व राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करवाने के हम वादीगण कानून हकदार है। सत्यप्रति जमाबंदी पेश की गई है।

दावा दफा 4 में वर्णित कृषि भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण की पैतृक कृषि भूमि है जो कि प्रतिवादी संख्या 1 दुलाराम के नाम कायम रखी जावे।

अतः वाद वादीगण पेश कर निवेदन किया गया है कि वाद वादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जाकर घोषित किया जावे :-

घोषित किया जावे कि तहसील पीलीबंगा के चक 6 एनएसडब्ल्यू की मुताबिक जमाबंदी सम्वत् 2073 से 2076 जमाबंदी 2077(वर्ष 2021) से चालु खाता सं. 79/67 का प0न0 41/335 मु0न0 35 कि0न0 2/3/0.0350, 3/1/0.2280, 3/2/0.0250, 4/3/0.0480, 7/2/0.073, 8, 9/1/0.060, 12/1/0.0730, 13, 14, 16/2/0.0630, 17, 18, 19/1/0.0990, 23/2/0.0250, 23/3/0.0490, 24/1/0.1380, 24/2/0.0250, 25/1/0.1380, 25/2/0.0250 की कुल 2.3690 है0 कमाण्ड अनकमाण्ड मय गै0मु0 खाला कृषि भूमि के वादी संख्या 1 ता 3 बहिब के खातेदार काशतकार है।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया व प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 मय अधिवक्तागण न्यायालय में हाजिर आये। उभयपक्ष के वकीलों द्वारा पक्षकारों द्वारा हंस्ताक्षरित तहरीरशुदा राजीनामा अदालत हाजा के समक्ष पेश किया और प्रार्थना की गई कि दोनो पक्षों में राजीनामा हो चुका है। राजीनामा तस्दीक फरमाया जाकर वाद को डिक्री फरमाया जावे। प्रस्तुत राजीनामा पर उभयपक्ष की पहचान जरिये अधिवक्ता व जरिये दस्तावेज की गई। पहचान सिद्ध होने पर राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

राजस्थान काशतकारी (बोर्ड ऑफ रेवन्यु) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6 एवं आदेश 23 नियम 3 सीपीसी में समझौते के आधार पर वाद डिक्री किया जा सकता है। राजस्व (ग्रुप-6) विभाग जयपुर के पत्रांक प. 5(1)राज/6/97/10 दिनांक 08.09.1997 के अनुसार सह कृषको में जोत के विभाजन की सहमति हो जाये तो ऐसी सहमति के आधार पर डिक्री की जा सकती है। हिन्दु उतराधिकार विधि के अनुसार का पैतृक सम्पति में जन्म से ही अधिकार है। इसलिये पुत्र का पैतृक सम्पति में से जोत का विभाजन करवा सकता है।

एआईआर 1976 एससी 807 के अनुसार यदि हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के अनुरूप हिस्सा प्रदान न किया गया हो या किसी का हिस्सा कम ज्यादा हो तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने पारिवारिक समझौते को अधिक मान्यता दी है। पारिवारिक समझौता धोखाधड़ी या किसी के प्रभाव में न हो तो उस पारिवारिक समझौता को मान्यता दी जा सकती है। जिससे वाद कम हो, पारिवारिक समझौता पक्षकारान द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत किया गया हो।




सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

-:: आदेश ::-

विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। वादीगण एवं प्रतिवादी की ओर से पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का ससम्मान अध्ययन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि वाद में वर्णित कृषि भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 की पैतृक खातेदारी भूमि है जो जद्दी जायदाद होने के कारण उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के अनुसार लोक अदालत की भावना से वाद वादी स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत वाद में वर्णित भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 6 एनएसडब्ल्यू की मुताबिक जमाबंदी सम्वत् 2073 से 2076 जमाबंदी 2077(वर्ष 2021) से चालु खाता सं. 79/67 का प0न0 41/335 मु0न0 35 कि0न0 2/3/0.0350, 3/1/0.2280, 3/2/0.0250, 4/3/0.0480, 7/2/0.073, 8, 9/1/0.060, 12/1/0.0730, 13, 14, 16/2/0.0630, 17, 18, 19/1/0.0990, 23/2/0.0250, 23/3/0.0490, 24/1/0.1380, 24/2/0.0250, 25/1/0.1380, 25/2/0.0250 की कुल 2.3690 है0 कमाण्ड अनकमाण्ड मय गै0मु0 खाला कृषि भूमि के वादी संख्या 1 ता 3 बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है।

तहसीलदार(राजस्व) पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद किया जावे। आदेशानुसार डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेंगे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।


(रणजीत कुमार RAS)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

डिक्री व मुकद्दमें इब्तदाई
(आ०-20 रूल 6, 7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर, पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :- रणजीत कुमार आर.ए.एस

मुकदमा संख्या :- 108/2022

अनवान मुकदमा -

1. हरीश कुमार पुत्र दुलाराम जाति जाट साकिन पीलीबंगा गांव तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
2. रोहिताश कुमार पुत्र दुलाराम जाति जाट साकिन पीलीबंगा गांव तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
3. रायसिंह पुत्र दुलाराम जाति जाट साकिन पीलीबंगा गांव तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

-- वादी

बनाम

1. दुलाराम पुत्र सुरजाराम जाति जाट साकिन पीलीबंगा गांव तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

-- प्रतिवादीगण

:- वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 रा.का.अधि. बाबत घोषणा:-

-:: निर्णय ::-

दिनांक - 25/5/2022

वादीगण की ओर से श्री अनिल सिहाग अधिवक्ता एवं प्रतिवादी सं. 1 की ओर श्री जसपाल सिंह दहिया, अधिवक्ता इस वाद में आज दिनांक को रणजीत कुमार आर.ए.एस उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा एवं पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत वाद में वर्णित भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 6 एनएसडब्ल्यू की मुताबिक जमाबंदी सम्वत् 2073 से 2076 जमाबंदी 2077(वर्ष 2021) से चालु खाता सं. 79/67 का प0न0 41/335 मु0न0 35 कि0न0 2/3/0.0350, 3/1/0.2280, 3/2/0.0250, 4/3/0.0480, 7/2/0.073, 8, 9/1/0.060, 12/1/0.0730, 13, 14, 16/2/0.0630, 17, 18, 19/1/0.0990, 23/2/0.0250, 23/3/0.0490, 24/1/0.1380, 24/2/0.0250, 25/1/0.1380, 25/2/0.0250 की कुल 2.3690 है0 कमाण्ड अनकमाण्ड मय गै0मु0 खाला कृषि भूमि के वादी संख्या 1 ता 3 बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है।

तहसीलदार(राजस्व) पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि पर किसी अन्य न्यायालय का स्थगन नहीं हो तथा भूमि रहन मुक्त हो तो नियमानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करेगें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफतर दाखिल हो।

आदेश आज दिनांक 25/5/2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रणजीत कुमार RAS)

उपखण्ड अधिकारी एवम्

पदेन सहायक कलक्टर

पीलीबंगा